न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट, हरदोई।

<u>सत्र परीक्षण वाद संख्या– 239/2014</u>

सरकार बनाम कमलेश कुमार

<u>आ रो प</u>

मैं लक्ष्मी कान्त शुक्ल, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए) ऐक्ट, हरदोई एतद्द्वारा आप अभियुक्त :–

कमलेश कुमार को निम्नरूपेण आरोपित करता हूँ –

<u>प्रथम :–</u>

यह कि दिनांक 15.03.2012 को समय करीब 10.15 बजे रात, स्थान बहद मोहल्ला नघेटा पश्चिमी, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई में आपने अपने अन्य साथियों अतुल उर्फ छोटन्ने एवं बब्बल उर्फ सुरेन्द्र के साथ एकराय होकर अपने सामान्य आशय की अभिपूर्ति में वादिनी मुकदमा श्रीमती रामदुलारी के पति रामस्वरूप, वादिनी के पुत्र संजय, वादिनी की बहू श्रीमती रानी एवं वादिनी के रिश्तेदार रमेश को लाठी डण्डों से मार पीट कर स्वेच्छया साधारण चोटें पहुँचाई। इस प्रकार आपने भा.दं.सं. की धारा– **323 सपठित 34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>द्वितीयः–</u>

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों अतुल उर्फ छोटन्ने एवं बब्बल उर्फ सुरेन्द्र के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती रामदुलारी के स्कूटर एवं मकान में लगे दरवाजें, खिड़की एवं बिजली के उपकरणों को तोड़कर वादिनी को 50/– रूपये से अधिक की रिष्टि कारित की। इस प्रकार आपने भा.दं.सं. की धारा **427** के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>तृतीय :–</u>

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों अतुल उर्फ छोटन्ने एवं बब्बल उर्फ सुरेन्द्र के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती रामदुलारी एवं उसके परिवारीजनों, जो कि अनूसूचित जाति "चमार" के सदस्य हैं, और आप अनुसूचित जाति के नहीं है, को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इस प्रकार आपने एस.सी/एस.टी. (पी.ए.) एक्ट की धारा **3(1)(10)** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक– 20.10.2014

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.)ऐक्ट, हरदोई।

आरोप अभियुक्त को खुले न्यायालय में सुनाये व समझाये गया जिससे उसने इंकार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनांक– 20.10.2014

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.)ऐक्ट, हरदोई।